~ विज्ञापन ~

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रकाशन की तिथि	विज्ञापन क्रमांक 08/2008/चयन/दिनांक	आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि
04/06/2008	29/05/2008	11/07/2008

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ शासन के **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी** के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	600	192	240	168	180	58	72	50	36 (अना.) 12 (अ.जा.) 14 (अ.ज.जा.) 11 (अ.पि.व.)	-	1200
		600	192	240	168	180	58	72	50	73	-	1200

'पदों की संख्या परिवर्तनीय है'

नोट :- विकलांगता के प्रकार का विवरण:- विकलांगता की श्रेणी में वह विकलांगता मान्य होगी जो चिकित्सकीय कार्य सम्पादन में बाधित न हो ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं । अन्य प्रदेशों के मूल निवासी सभी वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी का उम्मीदवार ही माना जायेगा ।

(3) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

(4) पद का विवरण :-

(क) पद का नामः- चिकित्सा अधिकारी

(ख) सेवा श्रेणीः- राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)

(ग) वेतनमान - रूपये 8000-275-13500/- इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें ।

(घ) आवश्यक अर्हताएं:- एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता ।

टीपः- एम.बी.बी.एस. उपाधि भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीबद्ध होना चाहिए ।

आवेदक के पास उपर्युक्त आवश्यक उपाधि एवं उसका पंजीयन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए । आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को आवश्यक अर्हता अर्जित करने वाले आवेदक उपर्युक्त विज्ञापित पद के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेगें।

(य) आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2009 को 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो ।

नोटः- छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 28 जून 2007 के द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अब अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी । जिन वर्गो को पूर्व में अधिकतम आयु सीमा में उनके वर्ग के आधार पर छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है (जैसे - अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला/ विधवा-परित्यकता इत्यादि) उन वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरक्त छूट यथावत् मिलती रहेगी परंतु किसी उम्मीवदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी **शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**